

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- 16/2021

दायरा दिनांक :- 01-09-2021

अपीलाण्ट:-

1. श्री देवीसिंह पुत्र श्री उमरदान जाति चारण, निवासी ग्राम अणेवा, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोंडेंट्स:-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली।

उपस्थिति:-

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट्स।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नायब तहसीलदार, देसूरी द्वारा राजस्व विविध मुकदमा संख्या 57/2021 अनवान सरकार बनाम श्री देवीसिंह में पारित आदेश दिनांक 18.08.2021

-:निर्णय:-

दिनांक 17/11/2021

1. अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टर किस्म बाराणी दोगम/गैर मुमकिन पहाड़ भूमि स्थित हैं जिस पर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से एकमात्र कब्जा-काश्त भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट का था, रहा एवम् आज भी मौके पर अपीलाण्ट काबिज रह उक्त आराजी में अपीलाण्ट द्वारा खोदा कुआ मौके पर मौजूद हैं जिससे अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य कर अपना एवम् अपने परिवार का कृषि कार्य से होने वाली आय से भरण-पोषण करता हैं एवम् उक्त आराजी में अपना रहवासीय मकान मय मवेशी एवम् कृषि कार्य हेतु औजार (हल, कल्टी, ट्रौली इत्यादि) एवम् मवेशी का चारा एवम् फसल को रखने हेतु लौहे के चद्दरों के पुराने ढालिये बनाये गये मौके पर मौजूद हैं। उक्त आराजी काबिल काश्त होने से कृषि कार्य से होने वाली आय में से बचत कर लाखों रुपये लागत लगाकर अपीलाण्ट द्वारा काबिल काश्त बनाया गया हैं। अपीलाण्ट उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करता था, रहा एवम् आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करता हैं। मौके पर अपीलाण्ट की उक्त आराजी में ज्वार की फसल बोई हुई हैं जिससे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र दिनांक 11.01.2008 मय दीगर परिपत्रों अनुसार उक्त आराजी बहक अपीलाण्ट काबिल नियमन के थी, रही व कानून हैं। अपीलाण्ट की ओर से अदालत मातेहत के समक्ष अपना जवाब पेशकर उक्त आराजी माफिक राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की मंशानुसार उक्त आराजी भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट को नियमन किये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत मातेहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ नोटिस जारी करते हुये बिना अपीलाण्ट को पर्याप्त जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये एवम् दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना एवम् मौके की जांच किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को अहम सत्य मानते हुए एक ही दिन में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा करते हुए बिना रिकर्ड पर लिये कानून की मंशा के खिलाफ राजस्व रिकर्ड के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी से लगान की दर 32/- रुपये प्रति हैक्टर तय करते हुए अदालत मातेहत द्वारा उक्त आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं जुर्माना 1600/- रुपये वसूलने का आदेश जैर अपील सादिर करने में कानूनी एवं वाक्याती गम्भीर भूल की हैं। जिससे अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश दिनांक 18.08.2021 कानून काबिल निरस्त के हैं। उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा होने वाबत् वारस्ते साक्ष्य हेतु खसरा परिवर्तनशील संवत् 2050 से अब तक की नकलें प्रमाणित पेश हैं।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

2. यह है कि आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी का लगान 5/- रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित होने से उक्त लगान का 50 गुणा तक का जुर्माना अपीलाण्ट के विरुद्ध अदालत मातेहत लगाने हेतु कानूनन् सक्षम होती है जिस कानून की अहम स्थिति के विपरीत बिला अधिकार क्षेत्र के आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी का लगान अदालत मातेहत द्वारा अपनी मनमर्जी से उक्त आराजी के राजस्व रेकॉर्ड के बाहर जाकर 32/- रुपये प्रति हैक्टेयर लगान तय करते हुये उक्त 32/- रुपये का 50 गुणा 1600/- रुपये अपीलाण्ट से वसूलने हेतु निस्वत् अदालत मातेहत द्वारा आदेश जैर अपील सादिर किया है, जो आदेश अदालत मातेहत का बिला अधिकार क्षेत्र के होने से आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

3. यह है कि अदालत मातेहत आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व अपीलाण्ट को बिना मुकमिल जवाब शहादत सुनवाई का अवसर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार दिया जाना कानून की मशानुसार आवश्यक एवं लाजमी था व हैं। जिस सुनवाई की आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुये अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील पारीत किया है वह कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

4. यह है कि उक्त आराजी काबिल नियमन बहक अपीलाण्ट होने से अदालत मातेहत को पत्रावली नियमन हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भेजी जाना कानून की मशानुसार आवश्यक एवं लाजमी था, लेकिन अदालत मातेहत द्वारा कानूनी प्रावधानों एवं राज्य सरकार के परिपत्रों की अवहेलना करते हुये सादिर आदेश जैर अपील जारी किया, जो कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

5. यह है कि अदालत मातेहत द्वारा आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व सिवाय चक भूमियों के नियमन बाबत् समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों पर बिना विचार किये जो अपीलाण्ट के विरुद्ध आदेश जैर अपील सादिर किया है उससे पूर्व अदालत मातेहत को नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों पर विचार किया जाना कानून की मशानुसार आवश्यक था, जिसकी जानकारी अदालत मातेहत को अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाब दिनांक 18.8.2021 के जरिये दी जा चुकी थी, परन्तु अदालत मातेहत द्वारा अपीलाण्ट के जवाब को अनदेखा करते हुये एवं उक्त जवाब को अदालत मातेहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.8.2021 में रेकॉर्ड पर लिये बिना तथा विवेचन किये बिना अपीलाण्ट के विरुद्ध आदेश जैर अपील सादिर करने मे कानूनी गम्भीर भूल की है, जिससे भी आदेश जैर अपील कानूनन् काबिल निरस्त के हैं।

अतः अपीलाण्ट की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश दिनांक 18.8.2021 को निरस्त फरमाते हुये अपील अपीलाण्ट मय खर्चा मंजूर फरमाई जावें तथा आदेश जैर अपील में वर्णित भूमि बहक अपीलाण्ट काबिल नियमन होने से पत्रावली भूमि आवंटन सलाहकार समिति को नियमन सिफारिश के साथ भेजने हेतु अदालत मातेहत को निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाई जावें।

6. अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर विद्वान राजकिय अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 के कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 1.02 हैक्टर किरम बरानी दायम/गैर मुमकिन पहाड़ भूमि पर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से एकमात्र कब्जा-काश्त भूमिहीन काश्तकार अपीलाण्ट का था, रहा एवम् आज भी मौके पर अपीलाण्ट काबिज रह उक्त आराजी में अपीलाण्ट द्वारा खोदा कुआ मौके पर मौजूद हैं जिससे अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य कर अपना एवम् अपने परिवार का कृषि कार्य से होने वाली आय से भरण-पोषण करता है एवम् उक्त आराजी में अपना रहवासीय मकान मय मवेशी एवम् कृषि कार्य हेतु औजार (हल, कल्टी, ट्रौली इत्यादि) एवम् मवेशी का चारा एवम् फसल को रखने हेतु लौहे के चद्दरों के पुराने ढालिये बनाये गये मौके पर मौजूद हैं। उक्त आराजी काबिल काश्त होने से कृषि कार्य से होने वाली आय मे से बचत कर लाखों रुपये लागत

लगाकर अपीलान्ट द्वारा काबिल काश्त बनाया गया है। अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करता था, रहा एवम् आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करता है।

9. उक्त आराजी बहक अपीलान्ट काबिल नियमन के थी, रही व कानूनन हैं। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातेहत के समक्ष अपना जवाब पेशकर उक्त आराजी माफिक राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की मंशानुसार उक्त आराजी भूमिहीन काश्तकार अपीलान्ट को नियमन किये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत मातेहत द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ नोटिस जारी करते हुये बिना अपीलान्ट को पर्याप्त जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये एवम् दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना एवम् मौके की जांच किये बिना मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को अहम सत्य मानते हुए एक ही दिन में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को अनदेखा करते हुए बिना रेकॉर्ड पर लिये कानून की मंशा के खिलाफ राजस्व रेकॉर्ड के बाहर जाकर अपनी मनमर्जी से लगान की दर 32/- रुपये प्रति हैक्टर तय करते हुए अदालत मातेहत द्वारा उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल करने एवं जुर्माना 1600/- रुपये वसूलने का आदेश जैर अपील सादिर करने में कानूनी एवं वाक्याती गम्भीर भूल की है। जिससे अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश दिनांक 18.08.2021 कानूनन काबिल निरस्त के हैं।

10. साथ ही अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट एक भूमिहीन काश्तकार हैं तथा अपीलान्ट के पास उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 262 के कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर भूमि किरम बारानी दोगम/गैर मुमकिन पहाड़ भूमि में से रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं हैं, जिस पर अपीलान्ट काश्त कर सके। अपीलान्ट पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है तथा अपीलान्ट के परिवार का भरण-पोषण भी अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर काश्त कर उससे होने वाली आय से किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तो न सिर्फ अपीलान्ट भूमिहीन होगा बल्कि अपीलान्ट के परिवार को भी अपने भरण-पोषण में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलान्ट की परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये राज्य सरकार के परिपत्रों एवं कानून की मंशानुसार उक्त भूमि बहक अपीलान्ट काबिल नियमन होने से पत्रावली भूमि आवेदन सलाहकार समिति को नियमन सिफारिश के साथ भेजने हेतु तहसीलदार देसूरी को निर्देशित करवाने की कृपा करावे।

11. प्रकरण में राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलान्ट श्री देवीसिंह पुत्र उमरदान, जाति चारण, निवासी अणेवा ने मौजा ग्राम लाम्पी, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 262 कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर किरम गैर मुमकिन पहाड़ भूमि में से रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 57/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलान्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 18.8.2021 को अपीलान्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.8.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

12. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकॉर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते तहसीलदार को पूर्ण अधिकार हैं कि वे सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दे तथा किसी व्यक्ति द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाता है तो संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिसम्मत बेदखली की कार्यवाही की जावे।

13. चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट एक भूमिहीन काश्तकार हैं तथा अपीलान्ट के पास उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262

अति जिला क्लर्क (सीलिंग)
पाली (राज)

रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) के अलावा और कोई भूमि काश्त करने हेतु उपलब्ध नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त कर अपना व अपने परीवार का भरण-पोषण किया जा रहा है। जिसके साक्ष्य हेतु अपीलान्ट द्वारा खसरा परिवर्तनशील संवत् 2050 से अब तक की प्रमाणित नकलें अपील के साथ पेश की हैं। अतः ऐसी स्थिती में यदि अपीलान्ट को उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) से बेदखल किया जाता है तो न सिर्फ अपीलान्ट भूमिहीन होगा बल्कि अपीलान्ट के परिवार को भी अपने भरण-पोषण में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

14. प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत, स्थापित, रेकॉर्ड से पुष्ट है कि अपीलान्ट का उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) पर शांतिपूर्वक बिना कोई दखलन्दाजी के लम्बे समय से कब्जा काश्त रहा है। जिससे उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त सिद्ध होता है तथा कब्जा काश्त के आधार पर अपीलान्ट ने उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) पर काफि लागत लगाकर उक्त भूमि को उपजाऊ बनाया है, जिससे अपीलान्ट को उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) से बेदखल नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि यदि किसी भूमिहीन काश्तकार का लम्बे समय से सिवायचक भूमि पर कब्जा काश्त होता है तो नियमानुसार प्रिमियम राशि प्राप्त कर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन/नियमन संबंधित भूमिहीन काश्तकार को किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जनकल्याण की भावना से प्रशासन गावों के संग व प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाये जा रहे हैं जिसमें इस प्रकार के अनुतोष के प्रावधान विद्यमान हैं।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 57/2021 में पारित आदेश दिनांक 18.8.2021 विधिसम्मत नहीं होने के कारण सथप्रवत् रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होने से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली देसूरी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को मौके से बेदखल नहीं किया जाये तथा अपीलान्ट से किसी प्रकार की जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाये। साथ ही तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार की मंशानुसार एवं नियमन हेतु निर्धारित परिपत्रों अनुसार राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गावों संग अभियान में उक्त आराजी (खसरा नम्बर 262 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि) का अपीलान्ट को आवंटन हेतु नियमानुसार नियमन प्रस्ताव तैयार कर अपनी टिप्पणी के साथ संबंधित आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाना सुनिश्चित करे। इस निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को तहरीर के साथ माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलेक्टर (सी.डी.डी.)
पाली (राज.)


यह आदेश आज दिनांक 17/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हरताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलेक्टर (सी.डी.डी.)
पाली (राज.)

17-11-2021

पत्रावली पेक्षा हुई। उभयपक्ष उप०।

मुंबई मूल अपील स्वीकार की जाकर निस्तारण
कर दि गई है। अब उक्त पार्थना-पत्र के आगे
चलाये जाने का कोई औचित्य प्राप्त नहीं होता
है। अतः माफिक मूल अपील के निर्णय अनुसार
उक्त पत्रावली मूल अपील के साथ नत्थी की
जाकर फौजदारी नुमांदा कर दायित्व दफ्तर हो।

अति  जिला कम्पटर (साक्षिण)
पाली (राज)

सवासे